



प्रेस नोट
जनपद सीतापुर

चोरी की घटनाओं का अनावरण एवम् तीन शातिर माल समेत गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक श्री आर. पी. सिंह द्वारा चोरी/नकबजनी की घटनाओं को गम्भीरता से लेते हुए घटना को रोकने व अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये थे।

पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान दिनांक 31.10.2020 को अभियुक्ता 1. रानी पत्नी स्व०अनुज नि० ग्राम सण्डवाल थाना रामपुर कलाँ जनपद सीतापुर 2. रामदेवी पत्नी राजू नि० मानपुर थाना कमलापुर जनपद सीतापुर 3. राधा पत्नी रमेश नि० ग्राम सुलतानपुर थाना कमलापुर जनपद सीतापुर को सर्राफा मार्केट पड़ाव के पास से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इनके कब्जे से मु०अ०सं० 549/20 धारा 379/411 भादवि थाना बिसवां तथा थाना मु०अ०सं० 643/20 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली से संबंधित माल(रुपये) 20,000/- रुपये, एक जोड़ी टूटे पायल, तीन जोड़ी बिछुआ बरामद हुआ है। अभियुक्तागण काफी शातिर एवम् अभ्यस्त अपराधी है। जिन्होंने ने पूँछताछ पर बताया कि हम लोग मिलकर काफी दिनों से चोरी आदि करते है। तीनों अभियुक्ता को आवश्यक कार्यवाही पश्चात चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है। **अभियुक्तगणों के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट की कार्यवाही की जाएगी।**

● **अनावरित अभियोग:-**

1. मु०अ० सं० 549/2020 धारा 379/411 भादवि थाना बिसवां सीतापुर
2. मु०अ० सं० 643/2020 धारा 379/411 भादवि थाना कोतवाली नगर सीतापुर

● **अभियुक्तगण का नाम व पता:-**

1. रानी पत्नी स्व०अनुज नि० ग्राम सण्डवाल थाना रामपुर कलाँ जनपद सीतापुर
2. रामदेवी पत्नी राजू नि० मानपुर थाना कमलापुर जनपद सीतापुर
3. राधा पत्नी रमेश नि० ग्राम सुलतानपुर थाना कमलापुर जनपद सीतापुर

बरामदगी-

1.20,000 रु नकद

2. एक जोड़ी टूटे पायल
3. तीन जोड़ी बिछुआ सफेद धातु

● गिरफ्तार कर्ता पुलिस टीम:-

1. उ०नि० श्री जितेन्द्र सिंह
2. का० राहुल भदौरिय
3. म०का० पिकी
4. म०का०रुबी वर्मा
5. हो०गा० ओम प्रकाश